ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (मोकामा यूनिट) तथा आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी (मुजफ्फरपुर) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1978

(1978 का अधिनियम संख्यांक 41)

[8 दिसम्बर, 1978]

साधारणतया देश और विशिष्टतया रेलों की आवश्यकताओं के लिए रेल वैगनें और अन्य महत्वपूर्ण माल का विनिर्माण जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी के स्वामित्वाधीन उसके मोकामा यूनिट के संबंध में अधिकार, हक और हित तथा आर्थर बटलर एंड कंपनी के स्वामित्वाधीन उपक्रमों के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण तथा उनसे संबंधित या उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कंपनी मोकामा यूनिट में और आर्थर बटलर एण्ड कंपनी रेल वैगनों और अन्य माल के विनिर्माण में लगी हुई थी ;

और पूर्वोक्त कंपनियों के स्वामित्वाधीन वैगन और अन्य उपक्रमों के बंद हो जाने के कारण रेल वैगनों और अन्य माल के विनिर्माण में काफी गिरावट आ गई थी ;

और पूर्वोक्त कम्पनियों के बन्द संकर्मों को चालू करने के प्रयोजन के लिए ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कंपनी की मोकामा यूनिट का प्रबन्ध और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के उपक्रमों का प्रबन्ध, केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के अधीन ग्रहण कर लिया गया था ;

और रेल वैगनों और अन्य माल का जो साधारणतया देश और विशिष्टतया रेलों की आवश्यकताओं के लिए महत्त्वपूर्ण है, विनिर्माण जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए उक्त वैगन तथा अन्य उपक्रमों का अर्जन आवश्यक है ;

भारत गणराज्य के उनतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (मोकामा यूनिट) तथा आर्थर बटलर एंड कम्पनी (मुजफ्फरपर) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1978 है।

(2) इस अधिनियम की धारा 27 और धारा 28 के उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे और उसके शेष उपबन्ध 1 अप्रैल, 1978 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से 1 अप्रैल, 1978 अभिप्रेत है ;

(ख) "आर्थर बटलर एंड कंपनी" से मैसर्स आर्थर बटलर एंड कंपनी (मुजफ्फरपुर) लिमिटेड अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थान्तर्गत एक कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पश्चिमी बंगाल राज्य में 40, स्टैन्ड रोड, कलकत्ता में है ;

(ग) "ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कंपनी" से मैसर्स ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थान्तर्गत एक कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पश्चिनी बंगाल राज्य में 3, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता में है ;

(घ) "आयुक्त" से धारा 15 के अधीन नियुक्त संदाय आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ङ) "सरकारी कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के अर्थान्तर्गत और इस अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट, कंपनी अभिप्रेत है ;

(च) "मोकामा यूनिट" से बिहार राज्य में मोकामा में ब्रिटेनिया इंजीनिरिंग कंपनी के स्वामित्वाधीन वैगन और अन्य उपक्रम अभिप्रेत हैं ;

(छ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(झ) "विनिर्दिष्ट तारीख" से इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के सम्बन्ध में ऐसी तारीख अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार, उस उपबन्ध के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ;

(ञ) "वैगन और अन्य उपक्रम" से ऐसा उपक्रम अभिप्रेत है जो रेल वैगनों और अन्य माल के विनिर्माण में लगा है ;

(ट) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

मोकामा यूनिट और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण

3. मोकामा यूनिट और आर्थर बटलर एंड कंपनी के उपक्रमों का केन्द्रीय सरकार में निहित होना—नियत दिन को,—

(i) मोकामा यूनिट और मोकामा यूनिट के संबंध में ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी के अधिकार, हक और हित ; और

(ii) आर्थर बटलर एंड कंपनी के स्वामित्वाधीन उपक्रम और उक्त उपक्रमों की बाबत आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के अधिकार, हक और हित,

इस अधिनियम के आधार पर केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

4. निहित होने का साधारण प्रभाव—(1) धारा 3 में विनिर्दिष्ट मोकामा यूनिट और आर्थर बटलर एंड कम्पनी के उपक्रमों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनके अन्तर्गत सभी आस्तियां, अधिकार, पट्टाधृतियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार और सभी स्थावर तथा जंगम सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत भूमि, भवन, कर्मशालाएं, स्टोर, उपकरण, मशीनरी और उपस्कर, रोकड़ बाकी, हाथ नकदी, आरक्षित निधि, विनिधान तथा बही-ऋण जो, यथास्थिति, मोकामा यूनिट या आर्थर बटलर एंड कम्पनी के उपक्रमों के हैं, और ऐसी सम्पत्ति में या उससे उद्भूत होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित हैं, जो नियत दिन के ठीक पूर्व—

(क) मोकामा यूनिट के संबंध में ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कंपनी के ; या

(ख) आर्थर बटलर एंड कंपनी के स्वामित्वाधीन उपक्रमों के सम्बन्ध में उसके,

स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में, चाहे भारत में या भारत के बाहर थे और तत्संबंधी सभी लेखा बहियां, रजिस्टर और अन्य सभी दस्तावेजें भी हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार की हैं ।

(2) यथापूर्वोक्त सभी सम्पत्ति, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार, में निहित हो गई है, ऐसे निहित होने के आधार पर, किसी भी न्यास, बाध्यता, बन्धक, भार, धारणाधिकार और उन पर प्रभाव डालने वाले अन्य सभी विल्लंगमों से मुक्त उन्मोचित हो जाएगी और किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण की कुर्की, व्यादेश, डिक्री या आदेश को, जो ऐसी सम्पत्ति के उपयोग को किसी भी रीति से निर्बंधित करे, या ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी रिसीवर की नियुक्ति करे, वापस ले लिया गया समझा जाएगा ।

(3) किसी ऐसी सम्पत्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है, प्रत्येक बन्धकदार और किसी ऐसी सम्पत्ति में या उसके सम्बन्ध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जो विहित की जाए ऐसे बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित की सूचना आयुक्त को देगा ।

(4) शंकाओं को दूर करने की लिए यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति का बन्धकदार या ऐसी किसी सम्पत्ति में या उसके सम्बन्ध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रकमों में से और धारा 8 के अधीन अवधारित धनों में से भी, बन्धक धन या अन्य शोध्य रकमों के पूर्णतः या भागतः संदाय के लिए अपने अधिकारों और हितों के अनुसार दावा करने का हकदार होगा किन्तु, ऐसा कोई बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित किसी ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी में निहित हो गई है ।

(5) यदि नियत दिन को मोकामा यूनिट के सम्बन्ध में ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम के संबंध में उसके द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित, या पेश किया गया कोई वाद, अपील या अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही लम्बित है तो, यथास्थिति, मोकामा यूनिट या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के उपक्रमों के अन्तरण या इस अधिनियम की किसी बात के कारण उसका उपशमन नहीं होगा, वह बन्द नहीं होगी या उस पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेगी, चलाई जा सकेगी या प्रवर्तित की जा सकेगी ।

5. मोकामा यूनिट और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के उपक्रमों को सरकारी कम्पनी में निहित करने का निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि कोई सरकारी कम्पनी (चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ पर विद्यमान है अथवा इसके पश्चात् निगमित की गई है ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जिन्हें अधिरोपित करना वह सरकार ठीक समझे, अनुपालन करने के लिए रजामन्द है या उसने उनका अनुपालन कर लिया है तो वह अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि मोकामा यूनिट और धारा 3 में विनिर्दिष्ट उपक्रम और मोकामा यूनिट के संबंध में ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी के अधिकार, हक और हित तथा आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के स्वामित्वाधीन उपक्रमों की बाबत उसके अधिकार, हक और हित, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, केन्द्रीय सरकार में निहित रहने के बजाय, या तो अधिसूचना की तारीख को या उससे पहले या बाद की ऐसी तारीख को (जो नियत दिन से पूर्व की तारीख नहीं है, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उस सरकारी कम्पनी में निहित हो जाएंगे ।

(2) जहां मोकामा यूनिट के संबंध में या धारा 3 में विनिर्दिष्ट अन्य उपक्रमों के सम्बन्ध में अधिकार, हक और हित उपधारा (1) के अधीन सरकारी कम्पनी में निहित हो जाते हैं, वहां वह सरकारी कम्पनी ऐसे निहित होने की तारीख से मोकामा यूनिट और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के उपक्रमों की स्वामी समझी जाएगी और मोकामा यूनिट के और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के उपक्रमों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के समस्त अधिकार और दायित्व ऐसे निहित होने की तारीख से, उस सरकारी कम्पनी के क्रमशः अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे ।

6. कुछ पूर्व दायित्वों के लिए ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी का दायी होना—(1) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के सम्बन्ध में, ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी का मोकामा यूनिट के संबंध में प्रत्येक दायित्व या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के स्वामित्वाधीन उपक्रमों की बाबत प्रत्येक दायित्व, यथास्थिति, ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के दायित्व होंगे तथा ऐसी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे, न कि केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी के विरुद्ध ।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि —

(क) इस धारा में या इस अधिनियम की किसी अन्य धारा में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय नियत दिन से पूर्व किसी अवधि की बाबत—

(i) मोकामा यूनिट के संबंध में ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी का कोई दायित्व ;

(ii) आर्थर बटलर एण्ड कंपनी के स्वामित्वाधीन उपक्रमों के संबंध में उसका कोई दायित्व,

यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

(ख) मोकामा यूनिट के संबंध में या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के स्वामित्वाधीन उपक्रमों के संबंध में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण का कोई अधिनिर्णय, डिक्री या आदेश जो नियत दिन के पूर्व उत्पन्न हुए किसी ऐसे मामले, दावे या विवाद के बारे में नियत दिन के पश्चात् पारित किया गया है, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ;

(ग) तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबन्ध के उल्लंघन के लिए—

(i) मोकामा यूनिट के संबंध में ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा, या

(ii) अपने स्वामित्वाधीन उपक्रमों की बाबत आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी द्वारा,

नियत दिन से पूर्व उपगत कोई दायित्व, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

अध्याय 3

रकमों का संदाय

7. रकम का संदाय—(1) धारा 3 के अधीन—

(क) मोकामा यूनिट और उस यूनिट के संबंध में ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी के अधिकार, हक और हित ;

(ख) आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के स्वामित्वाधीन उपक्रमों के और उन उपक्रमों के सम्बन्ध में आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के अधिकार, हक और हित केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित करने के लिए,

केन्द्रीय सरकार, ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी को प्रथम अनुसूची में ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के सामने क्रमशः विनिर्दिष्ट रकम के बराबर रकम अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट रीति से, नकद देगी ।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि —

(i) मोकामा यूनिट के संबंध में ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी, और

(ii) अपने स्वामित्वाधीन उपक्रमों के संबंध में आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी,

के दायित्वों की पूर्ति, उपधारा (1) के अधीन क्रमशः ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी को शोध्य रकम में से सम्बन्धित कम्पनी के लेनदारों के हक और हित के अनुसार की जाएगी ।

8. अतिरिक्त रकम का संदाय—(1) केन्द्रीय सरकार ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी को मोकामा यूनिट के प्रबंध से वंचित किए जाने के लिए और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी को उसके स्वामित्वाधीन उपक्रमों के प्रबंध से वंचित किए जाने के लिए क्रमशः ऐसी कम्पनी को धारा 7 में विनिर्दिष्ट रकम के अतिरिक्त प्रति वर्ष दस हजार रुपए की दर से संगणित रकम, उस तारीख से प्रारम्भ होकर जिसको, यथास्थिति, ऐसी यूनिट या ऐसे उपक्रम का प्रबंध केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के अधीन ग्रहण किया गया था, नियत दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए देगी ।

(2) धारा 3, 4 और 6 के उपबंधों के भूतलक्षी प्रवर्तन को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार, ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी को दस हजार रुपए प्रति वर्ष की दर से संगणित रकम के बराबर नकद रकम, नियत दिन से प्रारंभ होकर उस तारीख को जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए देगी ।

(3) धारा 7 में निर्दिष्ट रकम और उपधारा (1) और (2) के अधीन संगणित रकम पर चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, नियत दिन से प्रारम्भ होकर, उस तारीख को जिसको रकम का संदाय केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए दिया जाएगा ।

(4) उपधारा (1), (2) और (3) के उपबंधों के अनुसार अवधारित रकम ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी को उस रकम के अतिरिक्त दी जाएगी जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ।

अध्याय 4

मोकामा यूनिट और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के उपक्रमों का प्रबन्ध आदि

9. मोकामा यूनिट और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के उपक्रमों का प्रबन्ध आदि—नियत दिन को, मोकामा यूनिट और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के स्वामित्वाधीन उपक्रमों के कार्यकलाप और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और प्रबंध—

(क) जहां केन्द्रीय सरकार ने धारा 5 के अधीन कोई निदेश दिया है, वहां ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट सरकारी कम्पनी में निहित होगा ; या

(ख) जहां कोई ऐसा निदेश नहीं दिया गया है वहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय में निहित होगा जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, और तब, यथास्थिति, इस प्रकार विनिर्दिष्ट सरकारी कम्पनी या इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे सभी कार्य करने का हकदार होगा, जिन शक्तियों का प्रयोग करने और जिन कार्यों को करने के लिए, यथास्थिति, मोकामा यूनिट के संबंध में ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी या अपने स्वामित्वाधीन उपक्रमों के संबंध में आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी प्राधिकृत है ।

10. मोकामा यूनिट और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के उपक्रमों का कब्जा परिदत्त करने का कर्तव्य—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे या अभिरक्षा या नियंत्रण में,—

(i) मोकामा यूनिट ; या

(ii) आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी का कोई उपक्रम,

या उस यूनिट या उपक्रम का कोई भाग या कोई मशीनरी, उपस्कर या ऐसी यूनिट या उपक्रम की भागरूप अन्य जंगम आस्तियां नियत दिन के ठीक पूर्व हैं, मोकामा यूनिट या ऐसे उपक्रम या ऐसे भाग, मशीनरी, उपस्कर या अन्य आस्तियों का कब्जा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को, जैसा केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, तुरन्त परिदत्त करेगा ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे या नियंत्रण में, नियत दिन को, मोकामा यूनिट या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम के सम्बन्ध में, जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी में निहित हो गया है ऐसी कोई आस्तियां, लेखाबहियां, दस्तावेजें या अन्य कागज-पत्र हैं जो, यथास्थिति, ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कंपनी या आर्थर बटलर एण्ड कंपनी के हैं या उनके उस दशा में होते यदि, यथास्थिति, मोकामा यूनिट या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के स्वामित्वाधीन उपक्रम केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी में निहित न हुए होते, उक्त आस्तियों, लेखाबहियों, दस्तावेजों और अन्य कागजपत्रों का लेखा-

जोखा केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को देने के लिए दायी होगा और उनका परिदान केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को जैसा केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, करेगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार, धारा 3 के अधीन उसमें निहित मोकामा यूनिट और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के उपक्रमों का कब्जा प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर सकेगी या करा सकेगी ।

11. विशिष्टियां देने का कम्पनियों का कर्तव्य—ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी ऐसी अवधि के भीतर जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अनुज्ञात करे, नियत दिन को, यथास्थिति, मोकामा यूनिट या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के स्वामित्वाधीन उपक्रमों से संबंधित, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, अपनी सभी सम्पत्तियों और आस्तियों की पूर्ण तालिका केन्द्रीय सरकार को देगी और इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी को सभी समुचित सुविधाएं देगी ।

12. मोकामा यूनिट या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के उपक्रमों के प्रबंध के भारसाधक व्यक्तियों का सभी आस्तियां आदि परिदत्त करने का कर्तव्य—मोकामा यूनिट या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के स्वामित्वाधीन किन्हीं उपक्रमों के केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी में निहित होने पर, ऐसे निहित होने की तारीख के ठीक पूर्व मोकामा यूनिट या, यथास्थिति, आर्थर बटलर एण्ड कंपनी के स्वामित्वाधीन उपक्रमों के प्रबंध के भारसाधक सभी व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को जो केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, मोकामा यूनिट या, यथास्थिति, आर्थर बटलर एण्ड कंपनी के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम से संबंधित सभी आस्तियां, लेखाबहियां, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज, जो उनकी अभिरक्षा में हैं, परिदत्त करने के लिए आबद्ध होंगे ।

अध्याय 5

मोकामा यूनिट और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के कर्मचारियों के बारे में उपबंध

13. कर्मचारियों के नियोजन का चालू रहना—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व :—

(i) मोकामा यूनिट की बाबत ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा ; या

(ii) अपने स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम की बाबत आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी द्वारा,

नियोजित किया गया है, नियत दिन से ही, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी का कर्मचारी हो जाएगा और, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी के अधीन पेंशन, उपदान और अन्य बातों के बारे में वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद या सेवा धारण करेगा जो उसे उस दशा में अनुज्ञेय होते जब ऐसा निधान न हुआ होता और तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी के अधीन उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसका पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तें, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जातीं ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, मोकामा यूनिट या आर्थर बटलर एंड कंपनी के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम में नियोजित किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की सेवाओं का केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी को अन्तरण, ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

14. भविष्य-निधि तथा अन्य निधियां—(1) जहां ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कंपनी या आर्थर बटलर एंड कंपनी ने, यथास्थिति, मोकामा यूनिट या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए कोई भविष्य-निधि, अधिवार्षिकी-निधि, कल्याण-निधि या अन्य निधि स्थापित की है वहां ऐसे कर्मचारियों से संबंधित धनराशियां जिनकी सेवाएं केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अंतरित हो गई हैं, ऐसी भविष्य-निधि, अधिवार्षिकी-निधि, कल्याण-निधि या अन्य निधि में, नियत दिन को जमा धनराशियों में से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगी ।

(2) उन राशियों के संबंध में, जो उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी को अंतरित हो जाती हैं, ऐसी सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा ऐसी रीति से कार्रवाई की जाएगी जो विहित की जाए ।

अध्याय 6

संदाय आयुक्त

15. संदाय आयुक्त की नियुक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी और आर्थर बटलर एण्ड कंपनी को धारा 7 और 8 के अधीन संदेय रकमों के संवितरण के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा, संदाय आयुक्त नियुक्त करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार ऐसे अन्य व्यक्तियों को आयुक्त की सहायता के लिए नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे और तब आयुक्त ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक को भी इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी या किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा ।

(3) कोई व्यक्ति, जिसे आयुक्त ने अपने द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया है, उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से कर सकेगा और उनका वही प्रभाव होगा मानो वे शक्तियां उस व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्षतः प्रदान की गई हैं न कि प्राधिकार के रूप में प्राप्त हुई हैं ।

(4) इस धारा के अधीन नियुक्त आयुक्त और अन्य व्यक्तियों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में से चुकाए जाएंगे ।

16. केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को संदाय—(1) ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कंपनी और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी को संदाय करने के लिए केन्द्रीय सरकार, विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अन्दर, निम्नलिखित रकम आयुक्त को नकद देगी :—

(क) प्रथम अनुसूची में उनमें से प्रत्येक के नाम के सामने विनिर्दिष्ट रकम ;

(ख) धारा 8 के अधीन ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कंपनी और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी को संदेय रकम ।

(2) केन्द्रीय सरकार भारत के लोक खाते में आयुक्त के नाम एक निक्षेप खाता खोलेगी और आयुक्त इस अधिनियम के अधीन उसे दी गई प्रत्येक रकम, उक्त निक्षेप खाते में जमा करेगा और उक्त निक्षेप खाते को चलाएगा ।

(3) आयुक्त मोकामा यूनिट और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के स्वामित्वाधीन उपक्रमों की बाबत, जिनके संबंध में उसको इस अधिनियम के अधीन संदाय किया गया है, पृथक्-पृथक् अभिलेख रखेगा ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निक्षेप खाते में जमा रकम पर प्रोद्भूत होने वाला ब्याज ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के फायदे के लिए काम आएगा ।

17. केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी की कुछ शक्तियां—(1) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी, नियत दिन के पश्चात् वसूल किया गया कोई धन जो ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी को मोकामा यूनिट के संबंध में और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी को उसके स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम के संबंध में जो केन्द्रीयत सरकार या सरकारी कम्पनी में निहित हो गए हैं, शोध्य है अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करके विनिर्दिष्ट तारीख तक प्राप्त करने की हकदार इस बात के होते हुए भी होगी कि ऐसी वसूली नियत दिन से पूर्व की अवधि के संबंध में है ।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी आयुक्त को, ऐसे संदाय के बारे में दावा कर सकेगी जो उस सरकार ने नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी के मोकामा यूनिट के संबंध में और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के उसके स्वामित्वाधीन उपक्रमों में से किसी के संबंध में किसी दायित्व का उन्मोचन करने के लिए नियत दिन के पश्चात् किया है और ऐसे प्रत्येक दावे को उन पूर्विकताओं के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी जो उस विषय को इस अधिनियम के अधीन प्राप्त है जिसके संबंध में ऐसे दायित्व का उन्मोचन केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी ने किया ।

(3) इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, नियत दिन के पूर्व के किसी संव्यवहार की बाबत मोकामा यूनिट के संबंध में, ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी के, और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी अपने स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम के संबंध में, ऐसे दायित्व जिनका विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व उन्मोचन नहीं किया गया है, यथास्थिति, ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के दायित्व होंगे ।

18. आयुक्त के समक्ष दावों का किया जाना—प्रत्येक व्यक्ति जिसका मोकामा यूनिट के संबंध में ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी के विरुद्ध या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के विरुद्ध उसके स्वामित्वाधीन उपक्रमों के संबंध में कोई दावा है, ऐसा दावा विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अन्दर आयुक्त के समक्ष करेगा :

परन्तु यदि आयुक्त का समाधान हो जाता है कि दावेदार पर्याप्त कारण से तीस दिन की उक्त अवधि के अन्दर दावा करने से निवारित रहा था तो वह तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के अन्दर दावा ग्रहण कर सकेगा, किन्तु उसके पश्चात् नहीं ।

19. दावों की पूर्विकता—द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों से उद्भूत होने वाले दावों को निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी, अर्थात् :—

(क) प्रवर्ग I को अन्य सभी प्रवर्गों पर अग्रता दी जाएगी और प्रवर्ग II को प्रवर्ग III पर अग्रता दी जाएगी और इसी प्रकार आगे भी ;

(ख) प्रवर्ग IV को छोड़कर प्रत्येक प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दावे समान पंक्ति के होंगे और पूर्णतः संदत्त किए जाएंगे किन्तु यदि रकम ऐसे दावों को पूर्णतः चुकाने के लिए अपर्याप्त है तो अनुपातिक रूप में कम कर दिए जाएंगे और तदनुसार संदत्त किए जाएंगे ;

(ग) प्रवर्ग IV में विनिर्दिष्ट दायित्वों का निर्वहन इस धारा में विनिर्दिष्ट पूर्विकताओं के अधीन प्रतिभूत उधारों की शर्तों और ऐसे उधारों की पारस्परिक पूर्विकता के अनुसार किया जाएगा ;

(घ) किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट विषय की बाबत किसी दायित्व के निर्वहन का प्रश्न केवल तब उठेगा जब उसके ठीक उच्चतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट सभी दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अधिशेष रह जाए ।

20. दावों की परीक्षा—(1) आयुक्त, धारा 18 के अधीन दावों की प्राप्ति पर, उन्हें द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट पूर्विकता क्रम में क्रमबद्ध करेगा और उसी पूर्विकता क्रम से उनकी परीक्षा करेगा ।

(2) यदि दावे की परीक्षा करने पर, आयुक्त की यह राय है कि इस अधिनियम के अधीन उसे संदत्त रकम किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दावों को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह ऐसे निम्नतर प्रवर्ग की बाबत दायित्वों की परीक्षा करे ।

21. दावों का स्वीकार या अस्वीकार किया जाना—(1) द्वितीय अनुसूची में बताई गई पूर्विकताओं के प्रति निर्देश से दावों की परीक्षा करने के पश्चात् आयुक्त ऐसी कोई तारीख नियत करेगा जिसको या जिसके पूर्व प्रत्येक दावेदार अपने दावे का सबूत फाइल करेगा अन्यथा उसे आयुक्त द्वारा किए जाने वाले संवितरण के फायदे से अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(2) इस प्रकार नियत तारीख के बारे में कम से कम चौदह दिन की सूचना अंग्रेजी भाषा के ऐसे दैनिक समाचारपत्र के जो देश के एक बड़े भाग में परिचालित होता हो, एक अंक में और प्रादेशिक भाषा के ऐसे दैनिक समाचारपत्र के एक अंक में, जो आयुक्त उपयुक्त समझे, विज्ञापन द्वारा दी जाएगी और ऐसी प्रत्येक सूचना में दावेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने दावे का सबूत आयुक्त के समक्ष, विज्ञापन में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर, फाइल करे ।

(3) प्रत्येक दावेदार, जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर अपने दावे का सबूत फाइल करने में असफल रहता है, आयुक्त द्वारा किए गए संवितरण से अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(4) आयुक्त ऐसा अन्वेषण करने के पश्चात् जो उसकी राय में आवश्यक है और, यथास्थिति, ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी या आर्थर बटलर एण्ड कंपनी को दावे का खण्डन करने का अवसर देने के पश्चात् और दावेदार को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, लिखित रूप में दावे को पूर्णतः या भागतः स्वीकार या अस्वीकार करेगा ।

(5) आयुक्त को अपने कृत्यों के निर्वहन से उद्भूत होने वाले सभी मामलों में जिनके अन्तर्गत वह या वे स्थान भी हैं जहां वह अपनी बैठक करेगा, प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए उसे वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य तात्त्विक पदार्थ का, जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य है, प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

(6) आयुक्त के समक्ष कोई अन्वेषण, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयुक्त को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए, सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

(7) कोई दावेदार, जो आयुक्त के विनिश्चय से असन्तुष्ट है, उस विनिश्चय के विरुद्ध अपील आरम्भिक अधिकारिता वाले उस प्रधान सिविल न्यायालय में कर सकता है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, यथास्थिति, मोकामा यूनिट या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है :

परन्तु जहां कोई ऐसा व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां ऐसी अपील उस राज्य के उच्च न्यायालय को की जाएगी जिसमें, यथास्थिति, ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है और वह अपील उस उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा सुनी और निपटाई जाएगी ।

22. आयुक्त द्वारा धन का संवितरण—इस अधिनियम के अधीन दावा स्वीकार करने के पश्चात्, ऐसे दावे की बाबत शोध्य रकम आयुक्त ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को संदत्त करेगा जिसे या जिन्हें ऐसी धनराशि शोध्य है और ऐसा संदाय कर दिए जाने पर मोकामा यूनिट के सम्बन्ध में ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी का और अपने स्वामित्वाधीन उपक्रम के सम्बन्ध में किसी दावे की बाबत आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के दायित्व का उन्मोचन हो जाएगा ।

23. ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी और आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी को रकमों का संवितरण—(1) यदि मोकामा यूनिट के सम्बन्ध में या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम के सम्बन्ध में आयुक्त को संदत्त धन में से द्वितीय अनुसूची में

यथाविनिर्दिष्ट दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अतिशेष रह जाता है तो वह उस अतिशेष का संवितरण, यथास्थिति, ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी को करेगा ।

(2) जहां किसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य संपत्ति का कब्जा इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी में निहित हो गया है किन्तु ऐसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य संपत्ति, यथास्थिति, ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी की नहीं है, वहां केन्द्रीय सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी मशीनरी या उपस्कर या अन्य संपत्ति का कब्जा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर बनाए रखे जिनके अधीन नियत दिन के ठीक पूर्व उन पर, यथास्थिति, ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी का कब्जा था ।

24. असंवितरित या दावा न की गई रकमों का साधारण राजस्व खाते में जमा किए जाना—यदि आयुक्त को संदत्त कोई धन, जो उस अन्तिम दिन से जिस दिन संवितरण किया गया था, तीन वर्ष की अवधि तक असंवितरित या दावा न किया गया रहता है, तो आयुक्त उसे केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व खाते में अंतरित कर देगा किन्तु इस प्रकार अंतरित किसी धन के लिए कोई दावा ऐसे संदाय के हकदार व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार को किया जा सकता है, और उस सम्बन्ध में कार्यवाही इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा अन्तरण नहीं किया गया था और दावे के संदाय के लिए आदेश, यदि कोई है, राजस्व के प्रतिदाय के लिए आदेश समझा जाएगा ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

25. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव—इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की किसी डिक्री या आदेश में, उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

26. केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा अनुसमर्थन के अभाव में संविदाओं का प्रभावहीन हो जाना—(1) किसी सेवा, विक्रय या प्रदाय के लिए मोकामा यूनिट के सम्बन्ध में ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के स्वामित्वाधीन ऐसे उपक्रमों में से किसी के सम्बन्ध में आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, द्वारा की गई और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक संविदा उस तारीख से जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई है, एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति से ही प्रभावी नहीं रहेगी, जब तक कि ऐसी संविदा का उस अवधि की समाप्ति के पूर्व, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी अनुसमर्थन नहीं कर देती और केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी ऐसी संविदा का अनुसमर्थन करने में ऐसे परिवर्तन या उपान्तर कर सकेगी जो वह ठीक समझे :

परन्तु केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी संविदा का अनुसमर्थन करने में लोप और संविदा में कोई परिवर्तन या उपान्तर तब तक नहीं करेगी जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी संविदा अनुचित रूप से दुर्भर है या असद्‌भावपूर्वक की गई है या केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी के लिए अहितकर है ।

(2) केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी संविदा का अनुसमर्थन करने में लोप और उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तर तब तक नहीं करेगी जब तक कि उस संविदा के पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता और संविदा का अनुसमर्थन करने से इंकार करने के या उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तर करने के कारणों को लेखबद्ध नहीं कर दिया जाता ।

27. शास्तियां—जो कोई व्यक्ति—

(क) मोकामा यूनिट या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम की भागरूप किसी सम्पत्ति को जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी से सदोष विधारित करेगा ; या

(ख) मोकामा यूनिट या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम की भागरूप किसी सम्पत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा या उसे सदोष प्रतिधारित करेगा ; या

(ग) मोकामा यूनिट या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम से संबंधित किसी दस्तावेज को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी या उस सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने से जानबूझकर विधारित करेगा या उसे देने में असफल रहेगा ; या

(घ) मोकामा यूनिट या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम से संबंधित किन्हीं आस्तियों, लेखा बहियों या रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी या उस सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को परिदत्त करने में असफल रहेगा ; या

(ङ) मोकामा यूनिट या आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम की भागरूप किसी सम्पत्ति को सदोष हटाएगा या नष्ट करेगा अथवा इस अधिनियम के अधीन ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि वह मिथ्या या बिल्कुल गलत है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

28. कम्पनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी जो यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित होता है कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मोनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ;

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

29. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—(1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या उस सरकार या सरकारी कम्पनी के किसी अधिकारी के, या उस सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के, विरुद्ध न होगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के या सरकारी कम्पनी या सरकारी कम्पनी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

30. शक्तियों का प्रत्यायोजन—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि धारा 31 और 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों से भिन्न, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकेगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) जब कभी उपधारा (1) के अधीन शक्ति, का कोई प्रत्यायोजन किया जाता है तब वह व्यक्ति, जिसे ऐसी शक्ति का प्रत्यायोजन किया जाता है, केन्द्रीय सरकार के निदेशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा ।

31. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए भी उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह समय जिसके अन्दर और वह रीति जिससे धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना आयुक्त को दी जाएगी ;

(ख) वह रीति जिससे धारा 14 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी भविष्य निधि या अन्य निधि के धन का उपयोग किया जाएगा ;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए, अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

32. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश नियत दिन से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

33. राज्य की नीति के बारे में घोषणा—इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) में उल्लिखित तत्त्वों का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने के लिए है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, राज्य का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 12 में है ।

प्रथम अनुसूची

(धाराएं 4, 7, 8 और 16 देखिए)

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	रकम (लाख रुपए में)
1.	ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी	152.85
2.	आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी	137.70

द्वितीय अनुसूची

(धाराएं 19, 20, 21 और 23 देखिए)

पूर्विकता-क्रम

प्रवर्ग I

(i) 1 जनवरी, 1975 से 31 मई, 1975 तक की अवधि के लिए त्रिपक्षीय समझौते की बकाया की बाबत कर्मचारियों को शोध्य रकम ।

(ii) असंदत्त वेतन, मजदूरी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा अभिदाय या भारतीय जीवन बीमा निगम से सम्बन्धित प्रीमियम की बाबत कर्मचारियों को शोध्य रकम ।

प्रवर्ग II

प्रबन्ध-ग्रहण के पश्चात् की अवधि के लिए, राष्ट्रीयकृत बैंकों से तथा इण्डस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन आफ इण्डिया से लिए गए प्रतिभूत उधार ।

प्रवर्ग III

प्रबन्ध-ग्रहण करने के पश्चात् की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार से लिए गए उधार ।

प्रवर्ग IV

प्रबन्ध-ग्रहण के पूर्व की अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए प्रतिभूत उधार ।

प्रवर्ग V

प्रबन्ध-ग्रहण के पूर्व की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण या राज्य विद्युत् बोर्ड को राजस्व, कर, उपकर, रेट या कोई अन्य शोध्य रकम ।

प्रवर्ग VI

प्रबन्ध-ग्रहण के पूर्व की अवधि के लिए व्यापार और अन्य लेनदार ।

———